E-MAIL-: sto-malpurarj@nic.in/subtreasury5546@gmail.com

(राजस्थान–सरकार)

कार्यालय उप–कोषाधिकारी मालपुरा जिला–(टोंक)

क्रमांक :एफ.()उपको.मा./विविध/2018–19/171 दिनांक:09.04.2019

समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी,
(पी0डी0 खाता–धारक सहित)
खण्ड मालपुरा, टोंक।

विषयः– ई–कुबेर के माध्यम से भुगतान के संबंध में।
प्रसंगः– वित (आर्थिक–मामलात) विभाग के पत्रांक एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/e-Kuber-/21475-874 DATE: 21/03/2018 & Letter No.-VII/8094-493 DATE: 26/09/2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि दिनांक **11.04.2019** से सभी प्रकार के भुगतान बैंक के माध्यम से न हो कर ई–कुबेर (E-KUBER, RBI BANK) के माध्यम से किये जायेगें। इस कम में डी0डी0ओं0 द्वारा निम्न कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।

1. डी0डी0ओं0 पे–मैनेजर व पीआरआई पे–मैनेजर पर किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पुर्व संयोजित मास्टर डेटा में सभी कार्मिकों, तीसरे पक्षकार एवं अन्य की पूर्ण जॉच पुनः अपने स्तर पर करें जैसेः–बैंक आई.एफ.एस.सी. कोड, खाता संख्या एवं खाताधारक की वैधता सिस्टम पर इन्द्राज किए गए डेटा में पूर्णतः करें जिससे गलत/अनियमित भुगतान न हों एवं संव्यवहार रिजेक्ट/फेल ना हो। सही बैंक खातों एवं नियमित भुगतान हस्तांतरण की पुर्ण जिम्मेदारी संबंधित डी0डी0ओं0/पी0डी0 खाताधारक की है/होगी। इस हेतु सिस्टम पर ई–कुबेर पोर्टल पर मान्य स्पेशल करेक्टर (a-z, A-Z, 0-9,. dot,: colon, / slash) के अनुसार अगर गलत है तो भुगतान प्राप्तकर्ता के मास्टर डाटा में आवश्यक संशोधन किया जाये। विभागीय एप्लीकेशन्स में उक्तानुसार संशोधन किये बिना पे–मैनेजर पर बिल बनाया जाना संभव नहीं होगा। इस संबंध में समस्त जिम्मेदारी डी0डी0ओं की होगी।

2. सभी डी0डी0ओं0 को पे–मैनेजर/पी.आर.आई. पे–मैनेजर पर डी0डी0ओं0 मास्टर डाटा में स्वयं डी0डी0ओं0 के मोबाईल नं. कार्यालय की मेल–आई.डी. इन्द्राज किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा ई–कुबेर भुगतान हेतु बिल/पेमेन्ट एडवाईस प्रोसेस नहीं होगी। इसके साथ ही आपके कार्यालय के सभी कार्मिकों एवं तृतीय पक्षकारों के मोबाईल नं. जोंड कर वेरीफाई करना अनिवार्य है। अगर पुर्व में नहीं किये गये हो तो।

3.डी0डी0ओं द्वारा सिस्टम पर पहले की भॉति ही बिल बनाकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। सभी प्रकियॉ पुर्वानुसार ही होगी केवल पारित बिलों को भुगतान हेतु ई.सी.एस. फाईल कोषालय/उप–कोषालय द्वारा आर.बी.आई. बैंक को प्रेषित की जायेगी। साथ ही कार्मिक एवं तृतीय पक्षकारों के नाम, बैंक खाता एवं अन्य में संशोधन की प्रकिया पुर्व की ही भॉति होगी।

4. आर.बी.आई. द्वारा जो उक्तानुसार गलत डॉटा फिडिंग के कारण जिन संव्यवहारों को रिजेक्ट किया जायेगा उसकी सूचना संबंधित डी0डी0ओं0 को उसके लॉगिन एवं मोबाईल पर संदेश के रूप में प्रदर्शित होगी। इस कारण बिन्दु संख्या 2. के अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।

Scanned by CamScanner

इन कारणों को दुरस्त कर संव्यवहार रिजेक्सन दिनांक से 60 दिवस के भीतर तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के संव्यवहारों हेतु वितीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आगामी वित्तीय वर्ष में 10 अप्रेल तक ई–ऐडवाईस जनरेट किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा कोषालय/उपकोषालय द्वारा जिस बजट–मद से राशि मुल रूप से आहरित कि गई थी। उसकों माईनस डेबिट कर दिया जायेगा। जिसका समस्त दायित्व संबंधित डी0डी0ओं0 का होगा।

5. यह प्रकिया पी0डी0 खाताधारकों हेतु भी लागु होगी। उक्तानुसार ई–पेमेन्ट एडवाईस For Rejected/Failed Transactions Generate कर कोषालय/उपकोषालय को ऑनलाईन अग्रेषित कर हार्ड कॉपी अग्रेषित कि जायेगी।

6. ऐसी फाईल्स जिन्हें आर.बी.आई. बैंक को ई–कुबेर के माध्यम से ई.सी.एस. हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। डी0डी0ओं के द्वारा समुचित कारण बताए जाने के बाद अगर आर.बी.आई. द्वारा FILES-PROCESS नहीं किये जाने की स्थिति में पुल–बैक किया जा सकेगा।

इस संदर्भ में दिनांक 12.04.2019 (शुक्रवार) समय 2:15 PM से उपकोषालय में प्रशिक्षण रखा गया है। अतः आप से अनुरोध है कि आप स्वयं या कार्यालय से किसी कार्मिक को जो आई.टी. का ज्ञान रखता हो उसको भिजवाने का श्रम करें।

09/04/2019

(राजेश चौधरी)
उपकोषाधिकारी
मालपुरा, टोंक।

(राजेश चौधरी) उपकोषाधिकारी मालपुरा (टोंक)

क्रमांक :एफ.()उपको.मा./विविध/2018–19/172-173

दिनांक:09.04.2019

प्रतिलिपिः–निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कोषाधिकारी, कोषालय टोंक, राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

उपकोषाधिकारी
मालपुरा, टोंक।

Scanned by CamScanner